

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 जनवरी, 2019-पौष 28, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF NAME

Informed to the General Public that previously my name was Sonam Singh Tomar D/o. Devendra Singh Tomar Which is Now changed to Kevika Singh Tomar D/o. Devendra Singh Tomar From Now onwards I shall known by this name only.

Old Name:

(SONAM SINGH TOMAR)

(817-B.)

New Name :

(KEVIKA SINGH TOMAR)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, कीर्ति जडिया पत्नी मोहम्मद एजाज, निवासी- मकान क्रमांक-202, ओरियन-2, पार्क सरीन, सनखेड़ी, वार्ड क्रमांक-83, कोलार रोड, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) पूर्व में कीर्ति एजाज पत्नी मोहम्मद एजाज के नाम से जानी व पहचानी जाती थी अब नाम परिवर्तन के पश्चात कीर्ति जडिया पत्नी मोहम्मद एजाज के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ और अब यही मेरा नाम है, और रहेगा.

पुराना नाम :

(कीर्ति एजाज)

(818-बी.)

नया नाम :

(कीर्ति जडिया)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में बुन्दू कुरैशी पुत्र श्री अब्दुल रहीम था जो कि अब वर्तमान में परिवर्तित होकर अब्दुल लतीफ पुत्र अब्दुल रहीम हो गया है एवं मेरे सभी दस्तावेजों में भी अब्दुल लतीफ नाम ही अंकित है. अतः अब मुझे अब्दुल लतीफ पुत्र अब्दुल रहीम नाम से ही जाना जावे.

पुराना नाम :

(बुन्दू कुरैशी)

पुत्र-श्री अब्दुल रहीम.

(819-बी.)

नया नाम :

(अब्दुल लतीफ)

पुत्र-श्री अब्दुल रहीम,

निवासी-ए-15, आनन्द नगर, बहोड़ापुर,

लशकर ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरी माताजी स्व. श्रीमती रामकली बाई हरसुले पत्नि स्व. श्री शालिकराम हरसुले, निवासी- म.नं.-69, नई बस्ती, बरगद के पेड़ के पास, बागमुंगालिया, तहसील हुजूर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश जो कि लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में भृत्य के पद पर पदस्थ थी, उसका स्वर्गवास दिनांक 08-09-2018 को हो गया है. कार्यालय की सेवा पुस्तिका में एवं नामांकन में मेरी माताजी स्व. श्रीमती रामकली बाई द्वारा त्रुटि से मेरा नाम कहीं पर संजु कुमार व कहीं पर संजीव कुमार लिखवा दिया गया है. जबकि मेरा वास्तविक नाम संजय कुमार हरसुले पुत्र स्व. श्री शालिकराम हरसुले है. मैं इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ मेरी कक्षा आठवीं की अंकसूची, आधार कार्ड व स्थाई निवास प्रमाण-पत्र में संजय कुमार हरसुले पुत्र स्व. श्री शालिकराम हरसुले है.

पुराना नाम :
(संजु/संजीव कुमार)

नया नाम :
(संजय कुमार हरसुले)
पता-म. नं. 69, नई बस्ती, बरगद के पेड़ के पास,
बागमुंगालिया, तहसील हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

(820-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, लता गणेशराम रेकवार सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व में बचपन का नाम लता रेकवार था जो कि मेरे सभी शैक्षणिक, शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में अंकित है तथा वर्तमान में मैं, लता गणेशराम रेकवार के नाम से ही जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम लता गणेशराम रेकवार के नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूंगी. लता रेकवार एवं लता गणेशराम रेकवार एक ही व्यक्ति के नाम है. अतः मेरे सभी शैक्षणिक, शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम लता रेकवार के स्थान पर लता गणेशराम रेकवार अंकित किया जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :
(लता रेकवार)

नया नाम :
(लता गणेशराम रेकवार)
निवासी-155, राधा कॉलोनी, गदाईपुरा,
बिरला नगर, ग्वालियर.

(824-बी.)

CHANGE OF SURNAME

Informed to the General Public that previous my Name was Rahul Jain S/o Sh. Virchand Manawat, And now after change my name is Rahul Manawat S/o Sh. Virchand Manawat. So, in future I will be known as Rahul Manawat.

Old Name:
(RAHUL JAIN)
Add.—14-Lad Colony, Y.N. Road,
Indore (M.P.).

New Name :
(RAHUL MANAWAT)
Add.—14-Lad Colony, Y.N. Road,
Indore (M.P.).

(825-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, अर्पित पुरोहित सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का नाम दुष्यंत पुरोहित है जो कि मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं बीमा पॉलिसियों में अंकित है वर्तमान में मैं, अर्पित पुरोहित के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा मेरे आधार कार्ड, राशनकार्ड इत्यादि में अंकित है दुष्यंत पुरोहित एवं अर्पित पुरोहित एक ही व्यक्ति के नाम हैं तथा भविष्य में भी मैं अर्पित पुरोहित नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा तथा हस्ताक्षर करता रहूंगा. अतः मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं बीमा पॉलिसियों इत्यादि में मेरा नाम दुष्यंत पुरोहित के स्थान पर अर्पित पुरोहित अंकित किया जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :
(दुष्यंत पुरोहित)

नया नाम :
(अर्पित पुरोहित)
निवासी-31, आर. जे. पुराम, स्टेट बैंक के पास,
ग्वालियर.

(826-बी.)

CHANGE OF SURNAME

I, Khushboo Mehta D/o Kewalrai Mehta hereby declare that after marriage I have changed my name as Khushboo Khatri W/o Puneet Kumar Khatri. So, from now and in future I will be known by my new name Khushboo Khatri W/o Puneet Kumar Khatri.

Old Name:

(KHUSHBOO MEHTA)
D/o Kewalrai Mehta.

New Name :

(KHUSHBOO KHATRI)
W/o Puneet Kumar Khatri,
Add.—Plot No. 301, Flat No.512,
Abhinandan Apartment, Silicon City
Indore (M.P). 452012.

(829-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा 10वीं की अंकसूची के अनुसार पूर्व नाम निखिल पवार था जो बदलकर निखिल सिंह चढ़ार हो गया है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(निखिल पवार)

नया नाम :

(निखिल सिंह चढ़ार)

(831-बी.)

CHANGE OF SURNAME

I, inform Neelkamal Maheshwari general that my former name was Neelkamal Bisani which is written in all my academic, governmental, semi- official forms and in the present. I have been known and known by the name of Neelkamal Maheshwari and also in the future. I will go by the name of Neelkamal Maheshwari in the same name. recognize, and will be called , and I will be signing, Neelkamal Bisani and Neelkamal Maheshwari is the name of the same person. Therefore, in all my academic, governmental, semi-official form, my name should be named Neelkamal Maheshwari in place of Neelkamal Bisani. Be informed about the general and the masses.

Old Name:

(NEELKAMAL BISANI)

New Name :

(NEELKAMAL MAHESHWARI)

(832--B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जा रहा है कि मैसर्स “ कॉस्मो डेवलपर ” दिनांक 13-04-2016 से एक पंजीकृत साझेदारी फर्म रजि. नं. 02/42/01/0143/17, वर्ष 2017-18 के रूप में कार्य कर रही है, जिसका पुनः संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 13-10-2018 से इस प्रकार है. श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल पुत्र श्री हजारी लाल अग्रवाल, श्रीमती पलक अग्रवाल पत्नी श्री जयदीप अग्रवाल और श्रीमती श्वेता अग्रवाल पत्नी श्री अरविन्द अग्रवाल अपनी स्वेच्छा से त्याग-पत्र देकर फर्म से हट रहे हैं तथा श्री मुकेश भोजवानी पुत्र स्व. श्री जमुनादास भोजवानी फर्म में सम्मिलित हुए हैं. हर आम आदमी को सूचित हो.

कॉस्मो डेवलपर,

अरविंद अग्रवाल,

(भागीदार)

पता-प्लॉट नं. 2, सेंट्रल पार्क होटल के पास,

सिटी सेंटर, ग्वालियर-474011 (म.प्र.).

(821-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्री माई स्टोन क्रेशर प्लेट नम्बर 201, मिलेनियम प्लाजा, गोविन्दपुरी, ग्वालियर मध्यप्रदेश 474001. साझेदार:- नीरज तोमर पुत्री श्री तुरसन पाल प्लेट नं. 303, मिलेनियम प्लाजा, गोविन्दपुरी, ममता सिंह पत्नी श्री मनोज सिंह, प्लेट नं. 303, मिलेनियम प्लाजा, गोविन्दपुरी ग्वालियर. पहले इस फर्म में दो साझेदार हैं. दोनों की सहमती से तीन नवीन साझेदार और जोड़े

गए हैं. नवीन साझेदारों के नाम: (1) श्री संजीव मित्तल पुत्र श्री वासुदेव प्रसाद मित्तल, 124, डिफेंस स्टेट फेस 1, आगरा (उत्तर प्रदेश). (2) श्री सचिन कुमार गोयल पुत्र श्री विशम्भर दयाल गोयल, छाता मोहल्ला, कमर, भरतपुर (राजस्थान). (3) श्री सोम कुमार मित्तल पुत्र श्री शिवकुमार मित्तल, 203, सारंग रेजीडेन्सी 29, पुराना विजय नगर, आगरा (उत्तर प्रदेश) को अन्य साझेदार के रूप में सम्मिलित किया गया है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

फर्म: मेसर्स श्री माई स्टोन क्रेशर

नीरज तोमर,

(भागीदार)

फ्लेट नं. 201, मिलेनियम प्लाजा, गोविन्दपुरी,
ग्वालियर (म.प्र.). 474001.

(822-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स श्री हरि इंटरप्राइजेस जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00023/06 व पंजीयन दिनांक 03-06-2006 है तथा फर्म का पंजीकृत पता 284-285, साकेत नगर, इन्दौर है जिसमें पंजीयन के समय दो भागीदार 1. श्री भास्कर भाई ए. पटेल पिता स्व. श्री आपा भाई पटेल, 2. श्री पवन श्रीमाल पिता स्व. श्री किरणमलजी श्रीमाल थे. दिनांक 01/08/2012 को फर्म में दो नए भागीदार 1. श्री निखिल भाई पटेल पिता श्री भास्कर भाई पटेल, 2. श्री श्वेतांक श्रीमाल पिता श्री पवन श्रीमाल शामिल हुए. दिनांक 11-11-2012 को इनमें से एक भागीदार श्री भास्कर भाई ए. पटेल पिता स्व. श्री आपा भाई पटेल की मृत्यु हो जाने से 12-11-2012 को फर्म में 3 भागीदार 1. श्री पवन श्रीमाल पिता स्व. श्री किरणमलजी श्रीमाल, 2. श्री निखिल भाई पटेल पिता श्री भास्कर भाई पटेल, 3. श्री श्वेतांक श्रीमाल पिता श्री पवन श्रीमाल शेष रहे तथा इनमें से भी एक भागीदार श्री निखिल भाई पटेल स्व. पिता श्री भास्कर भाई पटेल की दिनांक 28-11-2016 को मृत्यु हो जाने से दिनांक 20-01-2017 को फर्म में एक नए भागीदार श्री अक्षय एन.पटेल पिता स्व. श्री निखिल भाई पटेल को शामिल किया गया तथा वर्तमान में फर्म में 3 भागीदार 1.श्री पवन श्रीमाल पिता स्व. श्री किरणमलजी श्रीमाल, 2. श्री श्वेतांक श्रीमाल पिता श्री पवन श्रीमाल, 3. अक्षय एन. पटेल पिता स्व. श्री निखिल भाई पटेल हैं जो आमजन व सर्व-जन को सूचित हो.

फर्म: मेसर्स श्री हरि इंटरप्राइजेस,

पवन श्रीमाल,

(भागीदार)

पता- 284-285, साकेत नगर,
इन्दौर.

(827-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म शिवोम ट्रेडर्स (Shivom Traders) जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/04/0095/18 व पंजीयन दिनांक 07-07-2018 है तथा फर्म का पंजीकृत पता 11, बलराम टेंट हाउस के पास, धार रोड़, बेटमा, तह. देपालपुर, जिला इंदौर है जिसमें पंजीयन के समय दो भागीदार (1) श्री अम्बर ताम्रकर पिता श्री सुरेश ताम्रकर (2) श्री अर्जुन सिंह पंवार पिता श्री सरदार सिंह पंवार थे. दिनांक 01-01-2019 को फर्म से एक भागीदार श्री अर्जुन सिंह पंवार पिता श्री सरदार सिंह पंवार रिटायर हो गए हैं, अतः दिनांक 01-01-2019 को साझेदारी फर्म भंग (Dissolve) हो गयी है जो आमजन व सर्व-जन को सूचित हो.

फर्म शिवोम ट्रेडर्स (Shivom Traders),

अम्बर ताम्रकर,

(भागीदार)

पता- 2, संवाद नगर, नवलखा, इन्दौर.

(828-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राथी फर्म मैसर्स अनुरुद्ध बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स, बी. एच.-65, दीनदयाल नगर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2015 को संशोधन कर पार्टनर श्री शिव लखन सिंह पुत्र स्व. श्री बुद्ध सिंह, निवासी सूबे की गोठ, नई सड़क, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) एवं श्री ज्ञान चन्द जैन पुत्र श्री अमर चन्द जैन निवासी - 1/17, दनिशकुन्ज, कोलार रोड़, भोपाल (मध्यप्रदेश) को फर्म से पृथक् कर दिया है. फर्म के पार्टनर स्व. श्री कमल सिंह तोमर पुत्र श्री अनुरुद्ध सिंह तोमर, निवासी- बी.एच.-65, दीनदयाल नगर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) का स्वर्गवास दिनांक 21 सितम्बर, 2018 को हो जाने के कारण फर्म में पुनः संशोधन कर स्व. श्री कमल सिंह तोमर,

पुत्र श्री अनुरुद्ध सिंह तोमर, श्री अनुरुद्ध सिंह तोमर पुत्र स्व. श्री सरमन सिंह तोमर को फर्म से पृथक् कर दिया है. संशोधन दिनांक 21 सितम्बर, 2018 को किया गया है शेष सभी पार्टनर भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में अपने शेर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और ये फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदारों को स्वीकार है.

मैसर्स अनुरुद्ध बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स,
बलबीर सिंह तोमर,
(भागीदार)

पता- बी.एच. 65, दीनदयाल नगर,
ग्वालियर (म.प्र.).

(830-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स श्री बांके विहारी कंस्ट्रक्शन कम्पनी, सी-52, हरिशंकरपुरम, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/00143/10, दिनांक 15-09-2010 है जिसमें दिनांक 02-11-2018 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 3 श्री विपिन कुमार पुत्र श्री राम नरेश, आयु 26 वर्ष, निवासी म.नं. 9, ग्राम जलुआपुरा, पोस्ट सुरपुरा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये है. तथा फर्म से पृथक् हुए साझेदार भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

मैसर्स श्री बांके विहारी कंस्ट्रक्शन कम्पनी,
रामजश शर्मा,
(भागीदार).

(833-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कसरावद, जिला खरगौन

प्र.क्र. 01 बी-113/2018-19.

प्रारूप-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास 1951(1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और
मध्यप्रदेश लोक न्यास 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक लोक न्यास, खरगौन जिले के समक्ष.

चूँकि "श्री मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी गायत्री परिवार ट्रस्ट कसरावद, जिला खरगौन (म.प्र.)" श्री भुवानी राम पाटीदार, पता इन्दौर रोड (म.प्र.) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गयी सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता है तो उसके बारे में की गई आपत्तियों या सुझाव देने के विचार रखता हो तो इस सूचना के द्वारा सूचित किया जाता है कि "श्री मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी गायत्री परिवार ट्रस्ट कसरावद, जिला खरगौन (म.प्र.)" श्री भुवानी राम पाटीदार, पता इन्दौर रोड (म.प्र.) कसरावद सेवा संस्थान ट्रस्ट एक लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक लोक न्यास, जिला खरगौन का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में नियत दिनांक को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 1 माह (एक माह) के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

नेहा शिवहारे,

(34)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक.

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झांसी रोड, जिला ग्वालियर

प्र.क्र. 02/2018-19/बी-113.

ग्वालियर, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

आवेदक श्री मनोज कुमार पुत्र श्री रामअवतार सिंह, निवासी 302, वीरेन्द्र विलास, पटेल नगर, सिटी सेन्टर, ग्वालियर ट्रस्ट स्थान 44 अनुपम नगर एक्सटेंशन, सिटी सेन्टर, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम-1951 (1951 की 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30 दिसम्बर, 2018 को विचार के लिये दिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि वह गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झांसी रोड शहर व जिला ग्वालियर लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 30 दिसम्बर, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम और पता : एन बी फाउंडेशन सार्वजनिक न्यास
44 अनुपम नगर एक्सटेंशन, सिटी सेन्टर.
2. लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन :
चल/अचल सम्पत्ति : 50,000/- रुपये.

दिनेश चंद शुक्ला,
पंजीयक.

(35)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ट्रस्ट (शहर) रतलाम

क्र. 01/बी-113(1)/2017-18..

रतलाम, दिनांक 18 दिसम्बर, 2018

[फार्म-4 नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4(2) के तहत]

क्र. 01/आर-3/18.—आवेदक अध्यक्ष श्री नवनीत मेहता पिता स्व. श्री नारायण प्रसाद जी मेहता, निवासी कंचन विहार वेद व्यास कॉलोनी, रतलाम के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत “श्री हाटकेश्वर नागर ब्राह्मण समाज देवालय न्यास रतलाम (म.प्र.)” के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक.....11-2018 को जावेगी।

2. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रूचि हो, प्रकरण में नियत दिनांक 17 जनवरी, 2019 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के द्वारा प्रातः 11 बजे नियत दिनांक को उपस्थित हों। निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण

- | | | |
|-------------------|---|--|
| न्यास का पूरा नाम | : | “श्री हाटकेश्वर नागर ब्राह्मण समाज देवालय न्यास रतलाम”. |
| पता | : | नागर वास, नागर धर्मशाला, रतलाम मध्यप्रदेश रहेगा. |
| अचल सम्पत्ति | : | एक भवन नागर वास स्थित म्यु. क्रमांक 22 स्थित धर्मशाला रतलाम. |
| चल सम्पत्ति | : | रु. 28,000/- की सामग्री धर्मशाला उपयोग हेतु. |

राहुल घोट,
रजिस्ट्रार.

(36)

कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन

प्र.क्र. 0031/बी-113/2017-18.

उज्जैन, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018

प्रारूप-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

पंजीयक,
लोक न्यास, उज्जैन
जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि आवेदक अध्यक्ष श्री गजेन्द्र पिता रघुनाथ जी, निवासी 33, क्षीरसारग कॉलोनी, उज्जैन आदि द्वारा “श्री खण्डेलवाल ब्राम्हण समाज न्यास उज्जैन, कार्या.-6, सतीमार्ग बुधवारिया उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 28-01-2019 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती हूँ.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 28-01-2019 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

लोक न्यास का नाम	:	“श्री खण्डेलवाल ब्राम्हण समाज न्यास उज्जैन”.
कार्यालय	:	6, सतीमार्ग बुधवारिया, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	:	धर्मशाला भवन क्रमांक 5/396, वाके बुधवारिया हाट शहर उज्जैन जिसका कि नया नं. 6 सतीमार्ग क्षेत्रफल 2786 वर्गफीट है.
चल सम्पत्ति	:	निरंक.

अनिल बनवारिया,

पंजीयक एवं डिप्टी कलेक्टर.

(37)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट अनुविभाग, होशंगाबाद

प्र.क्र.01/बी-113(1)/2016-17.

फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम 1963 के नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक “अनादि लॉयन ट्रस्ट होशंगाबाद” द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् 30 दिन के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यतार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	“अनादि लॉयन ट्रस्ट होशंगाबाद”.
पता	:	केशव हॉस्पिटल, मोरछली चौक होशंगाबाद, तहसील व जिला होशंगाबाद.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	एक टेबल, फर्नीचर, टेबल कुर्सी, क्रॉकरी एवं स्टेशनरी, कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्केनर कुल कीमत रुपये 45,000.00

आज दिनांक 16 नवम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से प्रसारित किया गया.

वृंदावन सिंह,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(38)

अन्य सूचनाएं**कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल**

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	सिमरन महिला प्रा. उप.सह. भंडार मर्या., भोपाल	DRB/1116/1-5-08	2509/23-08-2018
2.	यशोदा महिला प्रा. उप.सह. भंडार मर्या., भोपाल	DRB/1115/30-4-08	2511/23-08-2018
3.	नवआदर्श महिला प्रा. उप.सह. भंडार मर्या., भोपाल	ARB/592/28-6-94	2603/23-08-2018
4.	ट्राईडेण्ट क्रेडिट को-ऑप. संस्था मर्या., भोपाल	ARB/985/2-2-11	2590/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

अलका तिग्गा,
सहकारी निरीक्षक.

(12)

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू.-उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	बिबली महिला उपभोक्ता भंडार	583/15-06-1994	2604/23-08-2018
2.	ओम शांति प्रा. उप भंडार	1117/24-06-2008	2559/23-08-2018
3.	तृप्ति साख	204/21-11-1983	2572/23-08-2018
4.	आशियाना	680/27-07-1994	2527/23-08-2018
5.	निशा महिला	679/28-07-1994	2525/23-08-2018
6.	साक्षी महिला	617/08-07-1994	2510/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(13)

रीता मिश्र,

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू.-उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	एम.ई. एस. कर्मचारी साख सह. सं. मर्या., भोपाल	DRB/39/27-07-1975	2468/10-08-2018
2.	मनप्रीत महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल	ARB/675/20-7-1994	2470/10-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(14)

मुकेश गुप्ता,

सहकारी निरीक्षक.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू.-उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	न्यू ज्योति महिला प्राथ. उप. भण्डार	1101/22-01-08	2513/23-08-2018
2.	आदर्श महिला प्राथमिक उप. भण्डार	1086/19-07-07	2522/28-08-2018
3.	भूमिका महिला प्राथ. उप. भण्डार	1089/14-10-97	2541/23-08-2018
4.	यादगार महिला प्राथ. उप. भण्डार	810/07-10-94	2605/23-08-2018
5.	न्यायिक कर्म. साख सहकारी संस्था.	892/25-10-05	2597/23-08-2018
6.	भाग्य लक्ष्मी सहकारी साख	889/24-12-03	2576/23-08-2018
7.	भारत स्काऊट एवं गाईड कर्म. साख	890/24-12-01	2577/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(15)

सुविता,
उप-अंकेक्षक.

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू.-उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	न्यू हिन्द महिला प्राथ. सहकारी उप. भण्डार मर्या., भोपाल	ARB/726/27-8-1994	2514/23-08-2018
2.	अजाक्स प्राथ. साख सहकारी संस्था. मर्या., भोपाल	ARB/865/20-4-2001	2569/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(16)

आर. एस. उपाध्याय,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू.-उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	एम्पलाईज वेल. केंटीन प्रा.स.उ.मं. मर्या., भोपाल	ARB/340/30-4-1973	2515/23-08-2018
2.	तारा महिला प्राथ. सह. उप. भंडार, भोपाल	ARB/564/09-6-1994	2517/23-08-2018
3.	सेवक महिला प्राथ. सह. उप. भंडार, भोपाल	ARB/667/22-7-1994	2519/23-08-2018
4.	दैनिक भास्कर कर्मचारी साख, भोपाल	ARB/265/18-11-1986	2593/23-08-2018
5.	दि अग्रसेन साख सह. संस्था, भोपाल	ARB/277/30-06-1987	2595/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(17)

बी. एल. छाबड़ा,
सहकारी निरीक्षक.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू.-उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	जय विजासन देवी महि. उप. भण्डार मर्या., भोपाल	970/29-3-2010	2537/23-08-2018
2.	जोया महि. उप. भण्डार मर्या., भोपाल	953/02-9-2009	2539/23-08-2018
3.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कर्म. साख भोपाल	55/09-8-1976	2573/23-08-2018
4.	माध्यमिक एवं प्रा. शिक्षक कर्म. साख मर्या., भोपाल	49/7-1-1975	2574/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(18)

एच. एन. वर्मा,
सहकारी निरीक्षक.

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/06.-उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	शीला महिला प्राथ. उप. सहकारी भंडार मर्या., भोपाल	ARB/701/5-8-1994	2526/23-08-2018
2.	ग्रीब्ज कॉटन सहकारी साख संस्था मर्या., भोपाल	ARB/61/3-2-1997	2592/23-08-2018
3.	दी एम्पलाईज साख सहकारी संस्था मर्या. भोपाल	ARB/85/25-1-1978	2592/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(20)

पी. एल. चिल्ले,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू.-उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	न्यू मां कर्मा महिला प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., भोपाल	ARB/621/08-07-1994	2533/23-08-2018
2.	सुभद्रा महिला प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., भोपाल	ARB/669/08-11-1994	2524/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(21)

अभय देशपांडे,
सहकारी निरीक्षक.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू-उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	माँ लक्ष्मी महिला प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., भोपाल	DRB/1112/16-4-08	2528/23-08-2018
2.	वर्धमान महिला प्रा. सह. उप. भण्डार मर्या., भोपाल	ARB/911/24-7-06	2534/23-08-2018
3.	रिया महिला प्रा. सह. उप. भण्डार मर्या., भोपाल	ARB/919/13-3-07	2538/23-08-2018
4.	माँ अम्बे प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., भोपाल	ARB/1114/25-04-08	2362/23-03-2018
5.	जनशक्ति एवं रोजगार कर्मचारी साख सह. संस्था, भोपाल	ARB/99/11-12-79	2581/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(22)

ज्योति चिंगले,

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू-उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	जय भारत को. आपरेटिव क्रेडिट सोसायटी साख सहकारी संस्था मर्या. भोपाल.	DRB/885/18-10-01	2565/23-08-2018
2.	रफी अहमद किदवई पशु चिकित्सक कर्म. साख सहाकारी संस्था मर्या. भोपाल.	ARB/69/16-2-76	2586/23-08-2018
3.	महेश साख सहकारी संस्था मर्या. भोपाल	DRB/977/21-4-04	2599/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(23)

पंकज श्रीवास्तव,

सहकारी निरीक्षक.

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू-उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	पज सूचना कार्यालय कर्मचारी साख सह. संस्था मर्या., भोपाल	ARB/108/22-12-1980	2587/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(24)

बी. डी. भारवानी,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू-उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	भविष्य ज्योति साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	ARB/1050/22-2-2014	2601/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(25)

मनोज कुमार श्रीवास्तव,
सहकारी निरीक्षक.

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू-उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	सुभश्री कन्या उ.मा.वि. कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.	ARB/385/27-10-1991	2588/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(26)

वाय. के. वर्मा,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू-उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	अवन्तिका महिला प्राथ. सह. उप. भण्डार	ARB/556/6-6-1994	2518/23-08-2018
2.	माँ गायत्री साख सह. संस्था मर्या., भोपाल	DRB/780/26-2-2018	2580/23-08-2018
3.	बैंक कर्मचारी बचत एवं साख सह. संस्था मर्या., भोपाल	ARB/733/22-3-1995	2583/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(27)

ज्ञान चन्द्र पाण्डेय,
सहकारी निरीक्षक.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू-उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	अल्का महिला प्रा. सह. उप. भंडार मर्या., भोपाल	ARB/568/10-6-1994	2536/23-08-2018
2.	भोपाल महिला प्रा. सह. उप. भंडार मर्या., भोपाल	ARB/597/1-6-1994	2542/23-08-2018
3.	प्रा. अपना महिला सह. उप. भंडार मर्या., भोपाल	DRB/774/21-1-1998	2561/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(28)

गोविन्द सिंह मकवाना,
सहकारी निरीक्षक.

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू.-उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	लाल बहादुर शास्त्री साख सहकारी संस्था	SHR/418/5-12-1964	2570/23-08-2018
2.	योजना एवं विकास विभाग कर्म. साख संस्था	ARB/361/22-6-1961	2579/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(29)

मीरा देवी,
उप-अंकेक्षक.

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू.-उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	सहयोगी साख सहकारी मर्या., भोपाल	DRB/1097/5-1-2008	2578/23-08-2018
2.	जनसेवा साख सहकारी मर्या., भोपाल	ARB/917/21-1-2007	2571/23-08-2018
3.	गंगोत्री साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	ARB/796/4-8-2006	2501/23-08-2018
4.	आस्ति महिला प्राथ. उप. भंडार मर्या. भोपाल	ARB/662/.....	2521/23-08-2018
5.	शहीद भगतसिंह प्राथ. उप. भंडार मर्या., भोपाल	ARB/421/31-3-1992	2543/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(30)

अशोक शर्मा,

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू-उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	श्री माँ फगोदी सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	ARB/931/20-02-2003	2575/23-08-2018
2.	इन्द्रा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	816/18-06-2006	2589/23-08-2018
3.	गौड़वाना साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	761/13-01-1995	2566/23-08-2018
4.	राष्ट्रीय महिला प्राथ. उपभोक्ता सह. भण्डार, भोपाल	515/30-04-1994	2560/23-08-2018
5.	वंदना महिला प्राथ. उपभोक्ता सह. भण्डार, भोपाल	687/30-07-1994	2523/23-08-2018
6.	सुपर महिला प्राथ. उपभोक्ता सह. भण्डार, भोपाल	550/30-06-1994	2550/23-08-2018
7.	कृति महिला प्राथ. उपभोक्ता सह. भण्डार, भोपाल	554/28-05-1994	2547/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(39)

कैलाश बगवैया,

सहकारी निरीक्षक.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	सोनिया महिला प्राथ. उप. भण्डार	ARB/488/20-08-1993	2548/23-08-2018
2.	आसमा महिला प्राथ. उप. भण्डार	ARB/828/4-12-1996	2552/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

सुधाकर पाण्डेय,
उप-अंकेक्षक.

(40)

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/1.-उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	प्रिसेंस महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, भोपाल	ARB/657/18-07-1994	2545/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

प्रमोद राय,
उप-अंकेक्षक.

(41)

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू-उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	कृष्णा प्रा. सह. उप. भंडार मर्या., भोपाल	DRB/1007/28-09-2004	2549/23-08-2018
2.	राखी महिला प्रा. सह. उप. भंडार मर्या., भोपाल	ARB/497/20-08-1993	2554/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(42)

एम.के.श्रीवास्तव,
सह. निरीक्षक.

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू-उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	हिन्द महिला प्राथ. सहकारी उप. भंडार मर्या., भोपाल	ARB/647/15-07-1994	2546/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 1 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(43)

आर.के.शर्मा,
सहकारी निरीक्षक.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	वक्रतुण्ड प्रा. सह. उप. भंडार मर्या., भोपाल	ARB/1007/13-03-2013	2520/23-08-2018
2.	सरगम प्रा. सह. उप. भंडार मर्या., भोपाल	ARB/993/3-08-2011	2551/23-08-2018
3.	अली प्रा. सह. उप. भंडार मर्या., भोपाल	ARB/955/10-09-2005	2555/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(44)

एस.के.सतमार,
उप-अंकेक्षक.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	जनशक्ति प्रा. सह. उप. भंडार मर्या., भोपाल	ARB/239/21-10-1985	2556/23-08-2018
2.	श्रीराम महिला प्रा. सह. उप. भंडार मर्या., भोपाल	ARB/946/25-6-2007	2553/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(45)

ज्योत्सना जैन,
सह. निरीक्षक.

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू-उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	आपूर्ति प्राथ. सहकारी उप. भण्डार मर्या., भोपाल	ARB/728/30-04-1994	2540/23-08-2018
2.	नेशनल केरोसिन विक्रय प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., भोपाल	ARB/815/30-3-1999	2563/23-03-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(46)

विनोद बांगरे,

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	कुंजन साख सकारी संस्था मर्या., भोपाल	DRB/966/05-12-2004	2584/23-08-2018
2.	रमा साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	DRB/1012/29-10-2004	2585/23-03-2018
3.	न्यू तृत्ति महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल	ARB/990/19-07-2011	2535/23-03-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(47)

विलीन खटावकर,

परिसमापक.

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	समुंदर देवी महिला प्रा. सह. उप. भण्डार, भोपाल	ARB/833/01-10-1999	2557/23-08-2018
2.	जानकी प्राथ. सहकारी उप. भण्डार मर्या., भोपाल	ARB/768/02-12-1997	2564/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(48)

ओ.पी. मालवीय,
उप-अंकेक्षक.

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू.-उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	नवीन महिला प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., भोपाल	ARB/578/14-6-1994	2512/23-08-2018
2.	सनदिल महिला प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., भोपाल	ARB/797/29-7-1995	2516/23-08-2018
3.	जेल कर्मचारी प्राथ. सहकारी उप. भण्डार मर्या., भोपाल	ARB/499/4-7-1994	2558/23-08-2018
4.	शासकीय कर्मचारी अधिकारी साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.	ARB/789/20-4-1998	2596/23-08-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य, पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(49)

देवेन्द्र कुमार गुप्ता,
उप-अंकेक्षक.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, सहकारिता विभाग, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अंतर्गत सहकारिता, जिला इन्दौर, संभाग इन्दौर द्वारा निम्न सहकारी संस्था को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेशित क्रमांक व दिनांक से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाकर अधिनियम की धारा-18 (1), (2), (3) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षर को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त किया जाता है. जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	आदेश क्र./दिनांक
1.	माँ भूवनेश्वरी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीकृत पता-633, साईं मंदिर के पास, भागीरथपुरा, इन्दौर.	डी.आर./आय.डी.आर./191, दिनांक 05-09-2013	क्र./पंजी/18/275, दिनांक 30-01-2018

अतः मैं, अनिल राय, उप-अंकेक्षक एवं शासकीय समानुदेशिती मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण एवं उपरोक्त दर्शित संस्था से संदर्भित जनों को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो, वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अंदर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, पता-123, देवी अहिल्या मार्ग, श्रमशिविर, जेलरोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के सम्बन्ध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियाँ अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकार्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं उक्त धारा-18(क) के अंतर्गत पंजीयन निरस्त आदेश के अनुसार देनदारी-लेनदारी का निराकरण कर प्रतिवेदन संयुक्त आयुक्त इन्दौर, संभाग इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जावेगा. अतः दर्शित सूचना-पत्र में दी गई अवधि के पश्चात् कोई भी दावा/देनदारी/लेनदारी मान्य नहीं की जावेगी.

यह सूचना आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

(50)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 के नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अंतर्गत सहकारिता, जिला इन्दौर, संभाग इन्दौर द्वारा निम्न सहकारी संस्था को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेशित क्रमांक व दिनांक से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाकर अधिनियम की धारा-18 (1), (2), (3) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त किया गया है. जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	आदेश क्र./दिनांक
1.	जय झूलेलाल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-612, चावला ट्रेड सेन्टर, सियागंज, इन्दौर)	ए.आर/आय.डी.आर./2476, दिनांक 22-09-2011	क्र./पंजी/18/314, दिनांक 01-02-2018

अतः मैं, अनिल राय, उप-अंकेक्षक एवं शासकीय समानुदेशिती मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण एवं उपरोक्त दर्शित संस्था से संदर्भित जनों को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो, वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अंदर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, पता-123, देवी अहिल्या मार्ग, श्रमशिविर, जेलरोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के सम्बन्ध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियाँ अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकार्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं उक्त धारा-18(क) के अंतर्गत पंजीयन निरस्त आदेश के अनुसार देनदारी-लेनदारी का निराकरण कर प्रतिवेदन संयुक्त आयुक्त इन्दौर, संभाग इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जावेगा. अतः दर्शित सूचना-पत्र में दी गई अवधि के पश्चात् कोई भी दावा/देनदारी/लेनदारी मान्य नहीं की जावेगी.

यह सूचना आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

(51)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 के नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अंतर्गत सहकारिता, जिला इन्दौर, संभाग इन्दौर द्वारा निम्न सहकारी संस्था को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेशित क्रमांक व दिनांक से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाकर

अधिनियम की धारा-18 (1), (2), (3) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	आदेश क्र./दिनांक
1.	शाने हिन्द साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-खजराना, मेन रोड, इन्दौर)	डी.आर/आय.डी.आर./44, दिनांक 05-09-2013	क्र./पंजी/18/199, दिनांक 19-01-2018

अतः मैं, अनिल राय, उप-अंकेक्षक एवं शासकीय समानुदेशिती मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण एवं उपरोक्त दर्शित संस्था से संदर्भित जनों को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो, वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अंदर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, पता-123, देवी अहिल्या मार्ग, श्रमशिविर, जेलरोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के सम्बन्ध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियाँ अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें। बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकार्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं उक्त धारा-18(क) के अंतर्गत पंजीयन निरस्त आदेश के अनुसार देनदारी-लेनदारी का निराकरण कर प्रतिवेदन संयुक्त आयुक्त इन्दौर, संभाग इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः दर्शित सूचना-पत्र में दी गई अवधि के पश्चात् कोई भी दावा/देनदारी/लेनदारी मान्य नहीं की जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई।

(52)

अनिल राय,
उप-अंकेक्षक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 जनवरी, 2019-पौष 28, शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 15 अगस्त, 2018

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा तथा राज्य के निम्न जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.—

(अ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक:— तहसील मुरैना, कैलारस, सबलगढ़ (मुरैना), रौन-मिहौना, अटेर (भिण्ड), ग्वालियर, डबरा, घाटीगांव (ग्वालियर), बलदेवगढ़, ओरछा (टीकमगढ़), बिजावर (छतरपुर), गुढ़ (रीवा), अनूपपुर (अनूपपुर), पाली (उमरिया), चितरंगी (सिंगरौली), बाजना, रावटी (रतलाम), तराना, बड़नगर (उज्जैन), सुसनेर (आगर), शाजापुर, सुजालपुर, कालापीपल (शाजापुर), सोनकच्छ, टोंकखुर्द, देवास, बागली, कन्नोद, खातेगाँव (देवास), सौंडवा (अलीराजपुर), महू, अम्बेडकरनगर, गौतमपुरा (इन्दौर), महेश्वर, खरगौन, कसरावद, भीकनगांव (खरगौन), बड़वानी, ठीकरी, राजकोट, पानसेमल, पाटी, बरला (बड़वानी), पुनासा, खालवा, पंधाना, हरसूद (खण्डवा), बुरहानपुर (बुरहानपुर), आष्टा, इच्छावर (सीहोर), बैतूल, शाहपुरा, मुल्ताई, आठनेर (बैतूल), शाहपुरा (जबलपुर), परासिया, बिछुआ, अमरवाड़ा, चौरई, उमरैठ, चाँद, हरई (छिन्दवाड़ा), बरघाट, कुरई, केबलारी, धनोरा, घंसौर (सिवनी), कटंगी, लालबरा (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(ब) 17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक:— तहसील अम्बाह (मुरैना), श्योपुर, विजयपुर (श्योपुर), सेंवड़ा (दतिया), पिछोर, खनियाधाना, नरवर, करैरा, बैराढ़ (शिवपुरी), चन्देरी (अशोकनगर), जतारा (टीकमगढ़), छतरपुर (छतरपुर), दमोह, तेंदूखेड़ा (दमोह), रामपुरबघेलान, मैहर (सतना), हजूर, मनगवां (रीवा), बुढ़ार (शहडोल), सुबासरा (मन्दसौर), पिपलोदा, रतलाम (रतलाम), महिदपुर, घटिया, उज्जैन, नागदा (उज्जैन), नलखेड़ा (आगर), मोमनबड़ोदिया (शाजापुर), सतवास, उदयनगर (देवास), जोवट, उदयगढ़, च.शे.आ. नगर (अलीराजपुर), देपालपुर, सांवेर, इन्दौर (इन्दौर), बड़वाह, गोगावां, झिरन्या (खरगौन), संधवा (बड़वानी), खण्डवा (खण्डवा), राजगढ़, खिलचीपुर, सारंगपुर, पचौर (राजगढ़), सीहोर, नसरूल्लागंज (सीहोर), गौहरगंज, बरेली, बाड़ी (रायसेन), भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी, चिचोली, आमला (बैतूल), सिवनी-मालवा, बनखेड़ी (होशंगाबाद), खरकिया (हरदा), मझोली (जबलपुर), नरसिंहपुर, गोटेगांव, गाडरवाड़ा (नरसिंहपुर), मण्डला, नैनपुर (मण्डला), जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा) लखनादौन, छपारा (सिवनी) में उक्त मि.मी. तक वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(स) 35.0 मि.मी. से 53.1 मि.मी. तक:— तहसील पोरसा, जौरा (मुरैना), दतिया (दतिया), चाचोड़ा (गुना), निवाड़ी, पलेरा (टीकमगढ़), गौरीहार, बड़ामल्हरा, लवकुशनगर (छतरपुर), अजयगढ़ (पन्ना), बीना, सागर, रेहली, राहतगढ़, केसली, मालथोन (सागर),

बटियागढ़ (दमोह), रघुराजनगर उचेहरा, विरसिंहपुर (सतना), सिरमौर, हनुमना, सैमरिया (रीवा), रामपुरनैकिन (सीधी), मन्दसौर + दालोदा (मन्दसौर), मनासा (नीमच), आलोट, सेलाना (रतलाम), खाचरौद (उज्जैन), बड़ौद (आगर), भगवानपुरा (खरगौन), निवाली (खण्डवा), नेपानगर (बुरहानपुर), नरसिंहगढ़ (राजगढ़), रहटी, श्यामपुर, बुधनी (सीहोर), रायसेन (रायसेन), बावई, पिपरिया (होशंगाबाद), हरदा (हरदा), पाटन (जबलपुर), करेली (नरसिंहपुर), नारायणगंज, घुघरी (मण्डला), डिण्डोरी (डिण्डोरी), सिवनी (सिवनी), तिरोड़ी, परसबाड़ा, खैरलौंजी (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अंतर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(द) 53.2 मि.मी. से 244.9 मि.मी. तक:- तहसील भिण्ड (भिण्ड), भितरवार (ग्वालियर), शिवपुरी, कोलारस, पोहरी, बदरवास (शिवपुरी), मुँगावली, ईसागढ़, अशोकनगर (अशोकनगर), गुना, राघोगढ़, बमोरी, आरोन, कुम्भराज (गुना), पृथ्वीपुर, टीकमगढ़ (टीकमगढ़), नौगांव, राजनगर, बक्सवाहा (छतरपुर), पन्ना + देवेन्द्रनगर, गुन्नौर + अमानगंज, पबई + सिमरिया (पन्ना), खुरई, बण्डा, देवरी, गढ़ाकोटा, शाहगढ़, जैसिंगनगर (सागर), हटा, पथरिया, जबेरा, पटेरा (दमोह), मझगावां, नागौद, अमरपाटन, रामनगर (सतना), त्योंथर, मऊगंज, रायपुर-कर्चु (रीवा), आगर (आगर), सोहागपुर, ब्योहारी, जयसिंहनगर, गोहपारू, जैतपुर (शहडोल), जैतहरी, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), मानपुर (उमरिया), गोपदबनास, सिंहावल, मझोली, कुसमी, चुरहट, बहरी (सीधी), देवसर, सिंगरौली (सिंगरौली), भानपुरा, मल्हारगढ़, गरौठ, सीतामऊ, श्यामगढ़ (मन्दसौर), जावद, नीमच (नीमच), जाबरा, ताल (रतलाम), अलीराजपुर, कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर), सेगांव (खरगौन), खकनार (बुरहानपुर), जीरापुर, ब्यावरा (राजगढ़), गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी, उदयपुरा (रायसेन), होशंगाबाद, इटारसी, सोहागपुर, पचमढी (होशंगाबाद), टिमरनी (हरदा), जबलपुर, कुण्डम, सीहोरा, पनागर (जबलपुर), बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, रीठी, बड़वारा, मुड़वारा, विजयराघवगढ़, बरही (कटनी), तेंदूखेड़ा (नरसिंहपुर), बिछिया, निवास (मण्डला), साहपुरा, बजाग (डिण्डोरी), तामिया (छिन्दवाड़ा), बालाघाट, किरनापुर, लौंजी, वैहर, वारासिवनी, विरसा (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

2. जुताई :- जिला मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, अलीराजपुर, बड़वानी, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी में जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

3. रोपाई :- जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, पन्ना, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, रायसेन, जबलपुर, कटनी, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा में रोपाई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

4. बोनी:- जिला मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, देवास, बड़वानी, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी में बोनी कार्य चालू न रहना प्रतिवेदित किया गया है।

5. फसल स्थिति:- . .

6. कटाई:- . .

7. सिंचाई:- जिला टीकमगढ़, सागर, रीवा, शहडोल, उमरिया, मन्दसौर, नीमच, बड़वानी, बुरहानपुर, बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कम मात्रा में तथा राज्य के शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।

8. पशुओं की स्थिति:- . .

9. चारा:- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

10. बीज:- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।

11. खेतिहर श्रमिक:- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त मात्रा तथा उचित रेट पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 15 अगस्त, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बाजरा की बोनी चालू.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	33.0				
2. पोरसा	35.0				
3. मुरैना	8.4				
4. जौरा	36.0				
5. कैलारस	3.0				
6. सबलगढ़	10.0				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान रोपाई चालू.	3. . . 4. (1) गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द, मूँग, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	18.0				
2. कराहल	43.2				
3. विजयपुर	25.0				
4. वीरपुर	. .				
5. बडोदा	. .				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी चालू.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	16.0				
2. भिण्ड	66.0				
3. गोहद	. .				
4. मेंहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. रौन+मिहोना	3.0				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी रोपाई चालू.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	4.8				
2. डबरा	16.1				
3. भितरवार	61.0				
4. चीनोर	. .				
5. घाटीगांव	2.0				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई व धान रोपाई चालू.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवदा	21.0				
2. दतिया	43.0				
3. इन्द्रगढ़	. .				
4. बढौनी	. .				
5. भाण्डेर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. रोपाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	71.0		4. (1) गन्ना अधिक. उड़द, मूँग, तिल कम. मूँगफली समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	26.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. खनियाधाना	32.0				
4. नरवर	23.0				
5. करैरा	28.0				
6. कोलारस	69.0				
7. पोहरी	108.0				
8. बैराढ़	22.0				
9. बदरवास	140.0				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	68.0		4. (1) उड़द मक्का अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	127.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. अशोकनगर	101.0				
4. चन्देरी	18.0				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	55.4		4. (1) उड़द, मूँग, सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	98.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	78.0				
4. आरोन	62.0				
5. चाचौड़ा	39.0				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	98.0				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	37.0		4. (1) उड़द, मूँग, तिल अधिक. धान, सोयाबीन, मूँगफली, ज्वार, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	71.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	8.0				
4. टीकमगढ़	107.0				
5. बल्देवगढ़	7.0				
6. पलेरा	42.0				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	17.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गौरीहार	52.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नौगांव	56.6		(2) . .		
3. छतरपुर	30.9				
4. राजनगर	92.0				
5. बिजावर	14.0				
6. बड़ामल्हरा	44.6				
7. लवकुश नगर	40.0				
8. बक्सवाहा	86.8				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान रोपाई चालू.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	45.1				
2. पन्ना-देवेन्द्रनगर	165.6				
3. अमानगंज-गुन्नौर	88.0				
4. पवई-सिमरिया	101.5				
5. शाहनगर-रैपुरा	94.4				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) धान, उड़द, सोयाबीन अधिक. ज्वार, मक्का, तुअर, तिल, मूँगफली, आलू-प्याज कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	40.8				
2. खुरई	88.4				
3. बण्डा	109.3				
4. सागर	41.7				
5. रेहली	37.0				
6. देवरी	145.0				
7. गढ़ाकोटा	120.4				
8. राहतगढ़	42.0				
9. जैसीनगर	98.0				
10. केसली	50.2				
11. मालथोन	53.0				
10. शाहगढ़	109.0				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) सोयाबीन, मूँग, ज्वार अधिक. उड़द, धान, मक्का, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	86.0				
2. बटियागढ़	52.0				
3. दमोह	26.0				
4. पथरिया	55.0				
5. जवेरा	67.0				
6. तेन्दूखेड़ा	26.8				
7. पटेरा	61.0				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू. रोपाई चालू.	3. . . 4. (1) धान, उड़द, मूँग, तुअर, सोयाबीन, तिल, कोंदो-कुटकी. कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	49.2				
2. मझगवां	62.0				
3. रामपुर-बघेलान	26.0				
4. नागौद	57.0				
5. उचेहरा	53.0				
6. अमरपाटन	58.0				
7. रामनगर	139.0				
8. मैहर	24.0				
9. बिरसिंहपुर	37.0				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी, रोपाई चालू.	3. . . 4. (1) धान, मूँग, उड़द, सोयाबीन, ज्वार, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	59.0				
2. सिरमौर	47.8				
3. मऊगंज	54.6				
4. हनुमना	35.9				
5. हजूर	32.6				
6. गुढ़	2.4				
7. मनगवां	25.2				
8. सेमरिया	47.8				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुर कर्चुलियान	56.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू रोपाई चालू	3. . . 4. (1) मक्का, धान, तुअर. उड़द, तिल अधिक. सोयाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	101.0				
2. ब्यौहारी	119.0				
3. जयसिंहनगर	96.0				
4. बुढ़ार	27.0				
5. गोहपारू	89.0				
6. जैतपुर	54.0				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू रोपाई चालू	3. . . 4. (1) धान, मक्का, तुअर, कोहें-कुटकी, उड़द अधिक. सोयाबीन, तिल, कम. धान तुअर सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	82.8				
2. अनूपपुर	16.0				
3. कोतमा	87.7				
4. पुष्पराजगढ़	226.4				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी चालू रोपाई चालू	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	319.5				
2. पाली	0.7				
3. चंदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	123.8				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी, रोपाई चालू	3. . . 4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूँग कम. ज्वार, मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	56.2				
2. सिंहावल	142.2				
3. मझौली	77.2				
4. कुसमी	113.0				
5. चुरहट	55.2				
6. बहरी	115.6				
7. रामपुरनैकिन	49.0				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई, रोपाई चालू	3. . . 4. (1) मक्का ज्वार कोदों-कुटकी, समान. तुअर धान कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	15.0				
2. देवसर	85.8				
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	53.4				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) मक्का कम. सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा	26.6				
2. भानपुरा	110.4				
3. मल्हारगढ़	57.5				
4. गरोठ	85.6				
5. मंदसौर-दलोदा	52.0				
6. श्यामगढ़	55.4				
7. सीतामऊ	59.0				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधड़क्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	118.0			4.(1) सोयाबीन, मूँगफली अधिक. उड़द, मक्का, तुअर, मूँग, तिल, ज्वार कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	113.0			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं		
3. सिंगौली	..					
4. जीरन	..					
5. रामपुर	..					
6. मनासा	51.0					
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	59.0			4.(1) सोयाबीन समान. मक्का कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	51.0			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	39.0					
4. बाजना	7.0					
5. ताल	66.6					
6. रावटी	4.4					
7. पिपलोदा	33.0					
8. रतलाम	26.8					
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	41.0			4. (1) सोयाबीन मक्का, उड़द, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	21.0			(2) ..		
3. तराना	15.0					
4. घटिया	26.0					
5. उज्जैन	33.0					
6. बड़नगर	8.0					
7. नागदा	24.0					
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	40.0			4. (1) सोयाबीन अधिक. (2) सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	11.8					
3. नलखेड़ा	33.4					
4. आगर	54.0					
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	20.0			4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार, तुअर, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	11.1			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शुजालपुर	10.6					
4. कालापीपल	5.0					
5. पोलाय कलां	..					
6. बड़ौदिया	..					
7. गुलाना	..					
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2.	बोनी चालू.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	2.0			4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	1.0			(2) ..		
3. देवास	14.0					
4. बागली	3.0					
5. कन्नोद	8.0					
6. हाटपिपल्या	..					
7. सतवास	24.0					
8. उदयनगर	28.2					
9. खातेगांव	15.0					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.*जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. थांदला	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. मेघनगर	..		(2) ..		
3. पेटलावद	..				
4. रामा	..				
5. झाबुआ	..				
6. राणापुर	..				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	21.8		4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	58.4		बाजरा, उड़द, कपास	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	80.0		अधिक.		
4. सोडवा	6.0		(2) ..		
5. उदयगढ़	27.0				
6. चन्द्रशेखर आ. नगर	22.4				
7. भामरा	..				
30.*जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बदनावर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सरदारपुर	..		(2) ..		
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	24.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	20.5		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	18.1				
4. गोतमपुरा	7.0				
5. महु	8.0				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	31.3		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	9.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	66.0				
4. खरगौन	12.5				
5. गोगावां	20.0				
6. कसरावद	10.0				
7. भगवानपुरा	37.2				
8. भीकनगांव	4.0				
9. सनावद	..				
10. झिरन्या	17.8				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	3.6		4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	3.0		ज्वार अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	7.0		(2) ..		
4. सेंधवा	21.6				
5. पानसेमल	2.0				
6. पाटी	3.0				
7. अंजड	..				
8. बरला	8.0				
9. निवाली	42.0				
10. चाचरिया	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	22.0			4. (1) सोयाबीन धान, कपास, मक्का, मूँगफली, ज्वार, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.		6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	11.0						
3. खालवा	9.0						
4. पंधाना	5.0						
5. हरसूद	13.0						
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	11.0			4. (1) .. (2) ..		6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	62.0						
3. नेपानगर	40.0						
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	18.2			4. (1) .. (2) ..		6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	62.0						
3. खिलचीपुर	27.0						
4. ब्यावरा	59.0						
5. सारंगपुर	19.0						
6. पचोर	28.0						
7. नरसिंहगढ़	39.0						
37. *जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. ..	7. ..
1. लटेरी	..			4. (1) .. (2) ..		6. ..	8. ..
2. सिरोंज	..						
3. कुरवाई	..						
4. बासोदा	..						
5. नटेरन	..						
6. विदिशा	..						
7. गुलाबगंज	..						
8. समसाबाद	..						
9. त्योंदा	..						
10. पठारी	..						
11. ग्यारसपुर	..						
38. *जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. ..	7. ..
1. बैरसिया	..			4. (1) .. (2) ..		6. ..	8. ..
2. हुजूर	..						
3. बैरागढ़	..						
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	24.2			4. (1) .. (2) ..		6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	14.0						
3. इच्छावर	14.0						
4. नसरुल्लागंज	20.0						
5. रेहटी	41.0						
6. श्यामपुर	35.0						
7. जावर	..						
8. बुधनी	53.0						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. रोपाई चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	39.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	57.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	62.0				
4. गोहरगंज	30.0				
5. बरेली	26.4				
6. सिलवानी	60.0				
7. बाड़ी	33.0				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	58.0				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	10.2		4. (1) सोयाबीन, धान, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	22.5		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	26.0				
4. शाहपुर	17.4				
5. चिचौली	32.4				
6. मुल्ताई	4.8				
7. आठनेर	8.5				
8. आमला	20.0				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	100.7		4. (1) गन्ना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिवनी-मालवा	27.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	43.0				
4. इटारसी	69.6				
5. सोहागपुर	58.0				
6. पिपरिया	49.0				
7. बनखेड़ी	27.0				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढी	107.0				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	42.1		4. (1) धान, मक्का, उड़द, मूँग	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	24.2		अधिक. सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. रेहटगांव	. .				
5. हॉडिया	. .				
6. टिमरनी	63.0				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू रोपाई चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	71.3		4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	98.0		सोयाबीन, मूँग कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	127.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. पाटन	36.5				
5. मझौली	34.4				
6. शाहपुरा	6.4				
7. पनागर	54.5				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू रोपाई चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	76.9		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	100.5		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	101.9				
4. बड़वारा	81.0				
5. मुड़वारा (कट)	99.2				
6. विजयराघवगढ़	105.5				
7. बरही	87.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	27.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गोटेगांव	24.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. करेली	47.0				
4. गाडरवारा	25.0				
5. तेंदूखेड़ा	82.0				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	22.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नैनपुर	29.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बिछिया	105.0				
4. निवास	71.0				
5. नारायणगंज	50.5				
6. घुघरी	51.3				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू. रोपाई चालू.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	50.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	100.1		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बजाग	99.0				
49. जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. रोपाई चालू.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) धान, मक्का अधिक. मूँगफली समान. सायाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. तामिया	104.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	4.7				
4. जुन्नारदेव	18.0				
5. सांसर	..				
6. बिछुआ	6.8				
7. अमरवाड़ा	3.2				
8. चौरई	4.2				
9. उमरेठ	6.2				
10. मोहखेड	..				
11. हरई	16.8				
12. चांद	7.3				
13. पांडुर्णा	..				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	46.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बरघाट	12.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरई	15.0				
4. कवलारी	7.0				
5. लखनादोन	22.0				
6. छपारा	19.2				
7. धनोरा	8.2				
8. घंसौर	8.0				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	63.8		4. (1) धान समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	70.5		(2) धान समान.	चारा पर्याप्त.	
3. किरनापुर	66.2				
4. बैहर	117.0				
5. वारासिवनी	65.9				
6. कटंगी	10.8				
7. लालबर्वा	6.0				
8. तिरोडी	49.0				
9. परसवाड़ा	43.2				
10. बिरसा	92.8				
11. खैरलाँजी	52.0				

*जिला:- जिला झाबुआ, धार, विदिशा, भोपाल से पत्रक अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.